

28/3/24 → पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब  
अपार्थी पत्रावली दिनांक - 21/05/2024 को  
पेश हो। ✓

21/5/24 - पत्रावली पेश। वास्ते पेश करने जवाब सरकार  
बहुस पत्रावली दिनांक - 23/05/2024 को पेश  
हो। ✓

23/5/24 → पत्रावली पेश। सरकार फॉर्मल पक्षकार होने से  
जवाब की आवश्यकता नहीं है। वास्ते बहुस  
पत्रावली दिनांक - 28/06/2024 को पेश हो। ✓

28/6/24 → पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपहुँ। बहुस  
शुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक -  
11/07/2024 को पेश हो। ✓

11/7/24 → पत्रावली पेश। वकील प्राचीगण की बहुस पर मन्त  
किआ गया व पत्रावली पर उपलब्ध इस्तानों का  
अवलोकन किआ। प्राचीगण द्वारा विवाहित भूमि के  
सबुरवाते दारों व उनकी भूमि के लगवा शर्तों  
जो की आवश्यक पक्षकार हुँ। को पक्षकार संश्लेषित  
किआ बिना ही प्रकरण पेश किआ हुँ। केवल T.D.R.  
डिपोजी को ही पक्षकार नहीं बनाया गया हुँ। आवश्यक  
पक्षकार को सुने किआ प्रकरण में आदेश जारी किआ  
जनि से अनावश्यक वार बाहुलता की सम्भाना से  
इकार नहीं किआ जा सकता हुँ।

प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से आवश्यक  
पक्षकारों का कुसंश्लेषण होने से श्वारीज किआ जाता हुँ।  
पत्रावली फॉर्मल शुमार की जाकर बाद तहसील नम्बर  
से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। ✓

उपखण्ड अधिकारी  
दिल्ली